भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 4085

जिसका उत्तर 12.12.2019 को दिया जाना है

सड़क सुरक्षा उपायों संबंधी लागत साझीदारी

4085. डॉ॰ अमर सिंहः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में सड़क सुरक्षा उपायों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके वित्तीय प्रभाव क्या होंगे;

(ग) इस प्रयोजनार्थ अपनाए जाने के लिए प्रस्तावित लागत साझेदारी के मापदंड क्या हैं;

(घ) क्या इस लागत को एक केन्द्रीय योजना के माध्यम से अथवा केन्द्र की ओर से राज्यों को अतिरिक्त अनुदानों के माध्यम से वहन किया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस तरह की अवसंरचना को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ङ): मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2019 जो हाल ही में संसद द्वारा पारित किया गया है, सड़क सुरक्षा पर केंद्रित है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक निगरानी भी शामिल है। मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 136क राज्य सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों, सड़कों पर या किसी नगरीय शहर में सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन के लिए सशक्त बनाती है।

राष्ट्रीय राजमार्गों को 2 लेन/4 लेन/6 लेन का बनाने के लिए, उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली (एटीएमएस) को आईआरसी विनिर्देशों और मानकों की अपेक्षाओं को पूरा करना है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वाहनों के पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सेवाओं के लिए एक आईटी सक्षम प्रणाली वाहन, सारथी नाम के एप्लीकेसंस के माध्यम से और ई-चालान प्रणाली के माध्यम से मोटर यान अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के प्रावधानों के लिए व्यापक प्रवर्तन समाधान प्रदान करता है। केंद्र सरकार इन सभी सेवाओं को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में प्रदान करती है।

मोटर यान अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के प्रावधानों का कार्यान्वयन राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है।

*****